

योग्यता / शर्तें

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता : (प्राध्यापक-चित्रकला के अतिरिक्त समस्त पदों के लिये) :-

(1) सरकार द्वारा मान्य शिक्षा स्नातक (शी.एड.) और सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या उसके समतुल्य कोई अन्य अर्हता।

नोट-परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची यथा उल्लिखित अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की दिनांक से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा आवेदक अपात्र माना जावेगा।

स्पष्टीकरण- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपरोक्त कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

प्राध्यापक-गृह विज्ञान हेतु उपरोक्त योग्यता के अतिरिक्त निम्नलिखित नोट भी लागू होगा:-

"If required number of candidate are not available. In case Post Graduate in Home Science are not available than Graduate with Degree or Diploma in Education with 5 years experience of teaching Home Science of the standard of Secondary or Higher Secondary Class shall be eligible for the post of Senior Teacher in Home Science (preferable B.Sc. with Home Science) Graduates with Home Science will also be eligible if they are Post Graduate in any other subject but with Degree or Diploma in Education."

प्राध्यापक-चित्रकला हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :-

Post Graduate Degree in Drawing or equivalent exam. recognised by Govt. OR Graduate with 5 yrs. experience of teaching Drawing in a recognised institution OR Diploma of 5 years duration in Arts of any School/College of Arts recognised by Government.

(2)(सभी विषय पदों हेतु) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

रानिंग पे-बैण्ड | रानिंग पे-बैण्ड(9300-34800) ग्रेड पे रु. 4800/-

आयु सीमा | दिनांक 01.07.2016 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से कम।

आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अधिकारियों का वर्ग	अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष	5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला	10
3.	सामाचर वर्ग की महिला	5
4.	विद्यवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	सामाचर	10
	पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग	13
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15

नोट :- राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है—“Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit.”

अन्य विशेष श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

1	भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई (सबर्टेटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकार आयु सीमा लागू नहीं होगी।
2	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकार्यु का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बाराबर छूट होगी।
3	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्ति व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपरिथित के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जावेगे।
4	राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सबर्टेटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
5	कैरेट इन्स्ट्रक्टर्स मामले में उत्तरे ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बार्ता परिवर्तित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें नियारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
6	रिलीज़ इमर्जेंसी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शॉट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा।
7	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/नियमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
8	राज्य कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

नोट-

(1) उपरोक्त वर्गित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्गित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ सासन से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise)के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग (Category)के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।

(3) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7/6/कार्मिक/-II/2008 दिनांक-23.09.2008 के क्रम में जारी अधिसूचना के अनुसार जिस भर्ती की वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की आयु की दृष्टि से पात्र था, तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जायेगा, किन्तु यह छूट तीन वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी।

प्राध्यापक-सिन्धी (स्कूल शिक्षा) के पदों को छोड़कर अन्य सभी विषय पद आयोग द्वारा वर्ष 2013-14 में विज्ञापित किया गया था जिसके तहत आयु सीमा की गणना दिनांक 01.07.2014 को की गई थी। तथाप्य इन पदों का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23-09-2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.07.2016 को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देय होगी तथा प्राध्यापक-सिन्धी विषय के पदों हेतु उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।